रजि. सं०—110

प्रगतिवाद बाल विकास योजना

PWBVY
प्रगतिवाद बाल विकास योजना

निबंधन कार्यालय : पुराना कोर्ट कैम्पस, कासमिरी गेट दिल्ली – 110006
प्रधान कार्यालय : सुपौल, बिहार – 852131
E-mail - info@pwbvyindia.org Website :- www.pwbvyindia.org
Niti Aayog Unique Id : DL/2020/0251982 PAN No. : AAETP3469J
CSR No. : 00027651

दिनांक : 24/Aug/2022

पत्रांक : PWBVY/619/BR22

सेवा में,
अनुमंडल विकास पदाधिकारी
निर्मली (सुपौल)

25/08/22

विषयः— प्रगतिवाद बाल विकास ट्रस्ट संस्था के द्वारा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में चलाये जा रहे विभिन्न कार्यकर्मो में प्रोत्साहन करने के संबध में।

मोहदय ,

हमारी संस्था प्रगतिवाद बाल विकास ट्रस्ट भारतीय ट्रस्ट अधिनियम–१८८२ के अंतर्गत दिल्ली से अखिल भारतीय स्तर पर पंजीकृत है।
जिसका पंजीयन संख्या ११० है। बिहार प्रदेश में मुख्य शाखा कार्यालय—वार्ड नंबर—04,सुपौल,बिहार—८५२१३१ में स्थित है। हमारी संस्था का मुख्य उधेश्य ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रो मे शिक्षा को बढावा देना है। और सामाजिक कल्याण के कार्य करना। जिसके अंतर्गत बिहार राज्य के विभिन्न जिले कें विभिन्न पंचायतो मे निम्रांकित कार्यक्रम चला रही है। इस संबंध में आप से अनुरोध है की आप अपने स्तर से अपने अनुमंडल के विभिन्न प्रखंड विकाश पदाधिकारी को अपेक्षित सहयोग देने हेतु निर्देशित करने की कृपा की जाए।

चलाये जा रहे कार्यक्रम का ब्योरा निम्नवत है।

१. बाल विवाह रोकथाम जागरूक्ता अभियानः— बाल विवाह से उत्पन्न विकृतियों और सामाजिक बुराइयों के प्रति आम नागरिक को जागरूक करने के लिए हमारे कार्यकर्त्ता राज्य के विभिन्न जिलों में जाकर जागरूक्ता शिविर संगोष्ठी और नुक्कड़ नाट्रक एवं सभा के माध्यम से लोगों को जागरूक करते है।

२. प्रगतिवाद बाल विद्यालयः—प्रगतिवाद बाल विकास ट्रस्ट के अंतर्गत प्रगतिवाद बाल विद्यालय हर वार्ड मे खोलकर उस वार्ड के ३ से ६ साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा एवं पोषाहार देकर बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया जाता है।

३. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजनाः —ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रो मे शिक्षित बेरोजगार युवक—युवतियों एवं महिलाओं को स्वालंबी बनाने हेतु कला कम्प्यूटर सिलाई ,कटाई,बुनाई पेटिंग,सौन्दर्य प्रसाधन व्यावसायिक तकनिकी एवं गैर तकनिकी प्रशिक्षण देना।

४. ग्रामीण क्षेत्र मै सदस्य जाकर नाशा मुक्त जीवन जीने हेतु ज़ागरुक्ता शिविर नुक्कड़ सभा और जन सम्पर्क के माध्यम से जागरुक्ता लाने का कार्य कर रही।

5. संस्था के उद्येश्यों की प्रासी हेतु सदस्य बनाना:– चूँकी वर्तमान में संस्था को किसी सरकारी /गैर सरकारी आर्थिक सहायता मुहैया नही कराई गयी है इसलिए संस्था अपने सदस्यों से चंदा प्राप्त कर उपर वर्णित कार्य करने के लिए कृत संकल्पित है।

6. बेटी बचाओ बेठी पढाओ,कन्या भ्रुण हत्या, बाल मजदुरी और दहेज प्रथा की रोकथाम के लिए संस्था विशेष टीम गठित कर त्री स्तरिय व्यवस्था जिला,प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर सदस्य नियुक्त कर जागरुकता लाने का कार्य कर रही है।

7. ग्रमीण एवं शहरी क्षेत्र में संस्था अपने सदस्यों के परिवार के लिए एक शादी कोष का गठन किया है जिसमे सदस्य के परिवार के बच्चों जिनकी आयु 0–14 वर्ष होती है तो उका पंजीयन करती है। अनाथ एवं शारीरिक दिव्यांग बच्चों के लिए पंजीयन निशुल्क है। 21 वर्ष की आयु के उपरांत शादी होने पर प्रोत्साहन राशी अनुदान स्वरुप विवाह सामग्री के शादी समारोह में दी जाती है।

8. पर्यावरण संरक्षण हेतु लोगो को जागरुकता करना एवं वृक्ष –रोपण को बढावा देना । हरीत क्रांति के क्षेत्र में सरकार की विभिन्न योजनाओ से ग्रामीण क्षेत्रो की अवगत करना।

9. रक्त दान जीवन दान के अतर्गत आमलोगों को जागरुक्ता करना और बिहार के विभिन्न जिले में रक्त दान शिविर लगाने ताकि पाकृति आपदा एवं आपातकालीन स्थिति मैं स्वास्थ्य जन सेवा मैं सहयोग करना ।

10. प्रगतिवाद बाल विकास ट्रस्ट के अतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में वार्ड स्तरीय प्रगतिवाद बाल विद्यालय की स्थापना की जा रही है इस विद्यालय को सुचारु रुप से चलाने हेतु सेविका सहायिका एवं सुपरवाइजर की चयनित संस्था के द्वारा किया जा रहा है।

11. भारत सरकार के कार्यकम स्वक्छता अभियान और खुले मैं शौच मुक्त भारत को विभिन्न माध्यम से जागरुक्ता शिविर नुक्कड़ नाटक द्वारा आम जनता को जागरुक करना ।

प्रार्थना है कि अनुमंडल के विभिन्न प्रखंड विकाश पदाधिकारी को अपेक्षित सहयोग देने हेतु निर्देशित करने की कृपा की जाए।

संस्था इस कार्य के लिए आपका आभारी रहेगा । PARAS BISHWAS

अध्यक्ष
प्रगतिवाद बाल विकास ट्रस्ट
सुपौल,बिहार